

संख्या
दिनांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मा संख्या :- 32/2021 डा०फा

शाब्दिक रूप से 10 गैरसिद्ध शब्दों के अन्तर्गत - 1000 रु

प्रार्थी.....

बनाम

आकाश कुंज मल्लिक मेवाड़ जिला-भीलवाडा-1000
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 6/7/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम दहमथा पटवार हल्का दहमथा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्तों की खाता संख्या ⁴⁷⁷ आराजी नम्बर 666 / 667/1
0.2782 / 0.3794

कुल किता 2 रकबा 0.65-76

यस भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने भाये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29/01/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को जोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी ने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी का अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दहमथा पटवार हल्का दहमथा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 666 / 667/1
0.2782 / 0.3794

कुल किता 2 रकबा 0.65-76

हैक्टैयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-भेलेख निरीक्षक स.प.स. को 5000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया ता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की जूदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

गन्:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
जिला भीलवाडा

तेलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
जिला भीलवाडा